RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३५] गुरुवार, नोव्हेंबर २, २०१७/कार्तिक ११, शके १९३९ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

विधि तथा न्याय विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १० अक्तूबर २०१७ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXII OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUSTS ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. २२, सन् २०१७ ।

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९५० का २९।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश, प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

सन् १९५० का २९ की धारा ३६ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम की धारा ३६ की, उप-धारा (५) में,—

(क) " न्यासीयों द्वारा न्यास संपत्ति का अंतरण " शब्दों के स्थान में, " महाराष्ट्र लोक न्यास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ के प्रारंभण के दिनांक से पूर्व न्यासीयों द्वारा प्रभावित न्यास संपत्ति का अंतरण " शब्द कोष्टक और अंक रखे जायेंगे ; सन् १९५० का महा. २९ ।

(ख) निम्न **स्पष्टीकरण,** जोडा जायेगा, अर्थात् :–

" **स्पष्टीकरण**.–उप-धारा (५) के प्रयोजनों के लिये, " पूर्त आयुक्त " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, केवल धारा ३ के अधीन नियुक्त पूर्त आयुक्त से हैं । " ।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (सन् १९५० का २९) की धारा ३६ की उप-धारा (५), केवल उसमें उल्लिखित मामले में, न्यासीयों द्वारा न्यास संपत्ति के अंतरण को **कार्योत्तर** मंजूरी देने के पूर्त आयुक्त की शक्ति से संबंधित हैं । उक्त धारा ३६, की उप-धारा (५), महाराष्ट्र लोक न्यास (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१७ (सन् २०१७ का महा. ५५) द्वारा जोडी गयी है । सन् २०१७ का विधानसभा विधेयक क्र. ५९ (सन् २०१७ का उक्त महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ५५ के संबंध में) विचार-विमर्श के अनुसरण में, राज्य विधानमंडल में उसके पारित होने के दौरान, यह उपबंध करना इष्टकर समझा गया हैं कि, **कार्योत्तर** मंजूरी प्रदान करने की पूर्त आयुक्त की शक्ति, उक्त उप-धारा (५) के प्रारंभण के दिनांक से पूर्व प्रभावित न्यास संपत्ति के अंतरण के संव्यवहार करने के लिये सीमित होगी । अतः, इसलिये, उक्त उप-धारा (५) में यथोचितरित्या संशोधित करना इष्टकर समझा गया हैं ।

उक्त उप-धारा (५) के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये, यह भी उपबंध करना इष्टकर समझा गया हैं कि, ऐसी कार्योत्तर मंजूरी की शक्ति का निर्वहन केवल उक्त अधिनियम की धारा ३ के अधीन नियुक्त पूर्त आयुक्त द्वारा ही किया जाये ।

२. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हे, उपरोक्त प्रयोजनों के लिये महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (सन् १९५० का २९), में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित ७ अक्तूबर, २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

नि. ज. जमादार,
सरकार के प्रधान सचिव और विधि परामर्शी।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.